न्यायालय ... बनाम ...

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला – अजमेर

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का– बल्ली ....बनाम श्री सम्पतसिंह पुत्र बरदासिंह प्रकरण संख्या 157/2019
जाति रावत ......निवासी बल्ली

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक 24.7.19

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बल्ली द्वारा सम्वत् 2076 ग्राम बल्ली की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 253/2 कुल रकबा 34-02 किस्म भूमि मगरी ..... में से रकबा 0-10-0 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री सम्पतसिंह ...... पुत्र बरदासिंह जाति रावत ...... निवासी बल्ली .... द्वारा नाजायज काश्त/कब्जा कर लिये जाने की भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक 24.7.19 को मुकाम **मसूदा** पर उपस्थित होने वावत् जारी किया गया ।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाव में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाव में कोई ठोस सवूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी वतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काविज है।

अतः श्री सम्पतसिंह पुत्र बरदासिंह जाति रावत ...... निवासी बल्ली को सिवायचक भमि ग्राम बल्ली .... के खसरा न0 253/2 कुल रकबा 34-02 किस्म भूमि ~~0-10-0~~ मगरी में से रकबा 0-10-0 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उवत भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप मे वार्षिक लगान .... का पचास गुणा ~~70~~/– 15/– रूपये वतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली वाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एव शामिल मिसल किया गया।

(हस्ताक्षर)
(प्रभात त्रिपाठी)
तहसीलदार मसूदा
जिला – अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2019.12.13 16:07:35 IST
Reason: SelfAttested